न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, [illegible]

रामेश्वरलाल .... बनाम .... गिरधारी

किस्म मुकदमा .... दावा (53, 188) .... मु.नं. 141/2025 वर्ष ....

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
3/11/25	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त, यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/11/25 को पेश हो। [signature]	
26/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्रस्ताव रिपोर्ट [illegible] प्राप्त नहीं हुई। प्रस्ताव हेतु पत्रावली दिनांक 10/12/25 को पेश हो। [signature]	FD जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं। [signature] 10/12/25
10/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक : मु.सं./4082 दिनांक 8/12/25 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट [illegible] उपस्थित [illegible] के उक्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट का अवलोकन कर [illegible] को [illegible] का [illegible] किया [illegible] से [illegible] पत्रावली, विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट की का अवलोकन किया गया। [illegible] तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट से [illegible] [illegible] के [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] हेतु [illegible] दिनांक [illegible] पेश हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 141/2025

रामेश्वरलाल पुत्र बन्नाराम उम्र 62 वर्ष जाति रैगर निवासी निमोद तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन

–वादी

बनाम

01. गिरधारी पुत्र हनुमान
02. पूर्णमल पुत्र हनुमान
03. फुलचन्द पुत्र हनुमान
04. रामकुंवार पुत्र हनुमान
05. मूलचन्द पुत्र हनुमान
06. लक्ष्मी पुत्री हनुमान पत्नी डालाराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

07. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
08. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, शाखा सीकर तहसील व जिला सीकर
09. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री गणपत लाल, एड. वकील वादी की ओर से
02. श्री महेन्द्र कुमार जाखड़, एड. वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से

–:निर्णयः–

दिनांक– 10.12.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के संयुक्त कब्जे, काश्त की कृषि भूमियां खसरा सं. 355 रकबा 1.3600 हेक्टेयर, खसरा सं. 358 रकबा 2.4500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.8100 हेक्टेयर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के विभाजन के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 29.09.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/4082 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने भी तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। बहस उभयपक्ष से सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। उपस्थित उभयपक्ष के अभिभाषकगण उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमत है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारें की अंतिम डिक्री तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/4082 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 355 रकबा 1.3600 हेक्टेयर, खसरा सं. 358 रकबा 2.4500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.8100 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	रामेश्वर पुत्र बन्नाराम जाति रैगर सा. निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर खातेदार राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा सीकर	358 मिन	1.9100	बारानी–2
	योग	किता 1	1.9100	–
2	गिरधारी पुत्र हनुमान हि. 7/38 फूलचन्द पुत्र हनुमान हि. 7/38 रामकुवार पुत्र हनुमान हि. 7/38 लक्ष्मीदेवी पुत्री हनुमान हि. 7/38 जाति हरिजन सा.देह खातेदार पूर्णमल पुत्र हनुमान हि. 7/38 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास मूलचन्द पुत्र हनुमान हि. 7/38 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास जाति हरिजन सा.देह खातेदार	358 मिन 355	0.5400 1.3600	बारानी–2 बारानी–2
	योग	किता 2	1.9000	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामण के पत्रांकः भू.अ./25/4082 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जिला–सीकर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
दांता जिला सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

रामेश्वरलाल बनाम गिरधारी आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा सं.– 141/2025 निर्णय दिनांक– 10.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री गणपतलाल, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महेन्द्र कुमार जाखड़, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/4082 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा सं. 355 रकबा 1.3600 हेक्टेयर, खसरा सं. 358 रकबा 2.4500 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.8100 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	रामेश्वर पुत्र बन्नाराम जाति रैगर सा. निमोद तहसील डीडवाना जिला नागौर खातेदार राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा सीकर	358 मिन	1.9100	बारानी–2
	योग	किता 1	1.9100	–
2	गिरधारी पुत्र हनुमान हि. 7/38 फूलचन्द पुत्र हनुमान हि. 7/38 रामकुवार पुत्र हनुमान हि. 7/38 लक्ष्मीदेवी पुत्री हनुमान हि. 7/38 जाति हरिजन सा.देह खातेदार पूर्णमल पुत्र हनुमान हि. 7/38 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास मूलचन्द पुत्र हनुमान हि. 7/38 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास जाति हरिजन सा.देह खातेदार	358 मिन 355	0.5400 1.3600	बारानी–2 बारानी–2
	योग	किता 2	1.9000	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामण के पत्रांकः भू.अ./25/4082 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा।यह आज तारीख 10.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.19 14:45:04 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर